ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न0–1, सैक्टर–नॉलेज पार्क–4, ग्रेटर नोएडा सिटी

पत्रांक :–अ0मु0का0अ0 / 2020 / अ0स0 /928

दिनांक 28/.02/2020

कार्यालय आदेश

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 117वीं बोर्ड बैठक दिनांक 10.02.2020 मे अनु02–117 / 9 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में ग्रेटर नोएडा परिक्षेत्र के क्षेत्रान्तर्गत अवैध रुप से लगाये गये विज्ञापन पर अर्थदण्ड की गणना निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी :–

(A) नौएडा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर व्यवसायिक संस्थानो, स्कूल, हॉस्पिटल, बिल्डर्स आदि द्वारा ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण की अनुमति के बिना विज्ञापन किया जाता है :–

1. सम्बन्धित वर्क सर्किल के वरिष्ठ प्रबन्धक द्वार प्रत्येक बिलबोर्ड हेतु विज्ञापनकर्ता के विरुद्व एवं पोल लगाने वाले व्यक्ति / एजेन्सी के विरुद्व एक–एक लाख रुपये (Rs. One lac only) का अर्थदण्ड एवं बस स्टेन्ड पर (बोर्ड / पोस्टर) अथवा अन्य प्रकार का विज्ञापन लगाये जाने पर रु0 25,000 / – (Rs. Twenty five thousand only) प्रति सप्ताह रोपित किया जायेगा, प्रेषित किये जाने वाले नोटिस में उस बिल बोर्ड के विज्ञापन की फोटो, अखबार सहित एवं Geo Stamping/Tagging के साथ प्रेषित किया जायेगा । यदि व्यक्ति / एजेंसी द्वारा नोटिस में दी गयी समयावधि के अन्दर लगाये गये अवैध विज्ञापन को नही हटाती है एवं पुनः अवैध विज्ञापन लगाती है तो उस पर पूर्व में लगायी गयी पेनल्टी के अतिरिक्त पूर्व की पेनल्टी के दुगने के हिसाब से पेनल्टी लगाया जायेगा तथा निर्धारित समय सीमा 30 दिन में पेनल्टी जमा नही करायी जाती है, तो अवैध विज्ञापनकर्ता एवं एजेन्सी के विरुद्व इस पेनल्टी की वसूली भू–राजस्व की भांति किये जाने हेतु RC जारी करने की कार्यवाही सम्बन्धित वर्क सर्किल के वरिष्ठ प्रबन्धक द्वारा प्रचलित की जायेगी । इसके अतिरिक्त ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर अवैध विज्ञापन / पोस्टर / बैनर के विरुद्व रोपित किये गये अर्थदण्ड का आन्तरिक ऑडिट प्रतिमाह वित्त विभाग द्वारा किया जायेगा । उपरोक्त अर्थदण्ड की दरों में प्रति वर्ष न्यूनतम 10 प्रतिशत की बढोत्तरी होगी एवं तीन वर्ष उपरान्त पुनः बोर्ड में अनुमोदन कराते हुए दरें अनुमोदन करायी जायेगी।

(B) स्कूल एवं हॉस्पीटल के दिशा–सूचक बोर्ड के सम्बन्ध में कार्यवाही :–

1. एक स्कूल अथवा हॉस्पीटल को अधिकतम 4 संख्यक दिशा–सूचक बोर्ड अधिकतम 6' x 1' साईज तथा इसको रिफलेटिव शीट लगाकर (अनुमोदित रंगों के अनुसार) बोर्ड को चौराहे / लाल बत्ती से पहले कम–से–कम 75.00मी0 दूरी पर लगाया जायेगें । 4 दिशा–सूचक बोर्ड के अतिरिक्त बोर्ड लगाये जाने की अनुमति प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया जाता है तो उक्त की अनुमति अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी / मुख्य कार्यपालक अधिकारी से प्राप्त करनी अनिवार्य होगी।

2. ग्रेटर नोएडा Outdoor Advertising Policy के अनुसार किसी एक स्कूल या हॉस्पीटल द्वारा अधिकतम 04 संख्यक दिशा सूचक बोर्ड अधिकतम 6' x 1' साईज के लगाये जायेगें । दिशा सूचक लगाये जाने के लिए संबन्धित स्कूल अथवा हॉस्पीटल को Way Findinmg Signage का प्रर्थना पत्र नियत प्रारूप पर उपलब्ध कराया जायेगा । 04 संख्यक दिशा सूचक बोर्ड से अतिरिक्त दिशा सूचक लगाये जाने हेतु पृथक से आवेदन करना होगा, जिसको मान्य करने का अधिकार अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी / मुख्य कार्यपालक अधिकारी में निहित होगा।

(C) बिल्डर्स को दिशा–सूचक बोर्ड के सम्बन्ध में कार्यवाही :–

1. ग्रेटर नोएडा में कई बिल्डर्स के भिन्न–भिन्न सैक्टरों में भिन्न–भिन्न प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कार्य कराया जा रहा है । अतः बिल्डर्स को दिशा–सूचक बोर्ड की अनुमति दिये जाने पर मुख्य मार्गो एवं चौराहों पर अत्यधिक बोर्ड लगने की सम्भावना होगी, जिससे दुर्घटना की भी सम्भावना बढ जायेगी। अतः बिल्डर्स को दिशा–सूचक बोर्ड लगाने की अनुमति नही दी जायेगी ।

(D) बिल्डर्स द्वारा अपनी निर्माण साईड पर स्वयं के प्रोजेक्ट के प्रचार हेतु किये जाने वाले विज्ञापन के सम्बन्ध में कार्यवाही :–

1. बिल्डर्स द्वारा अपनी निर्माण साईड पर अधिकतम 20 वर्गमी0 (प्रति 2 एकड भूमि) विज्ञापन क्षेत्रफल अनुमन्य किया जाना प्रस्तावित है। यदि बिल्डर्स द्वारा 20 वर्गमी0 विज्ञापन क्षेत्रफल से अधिक विज्ञापन किया जाता है तो विज्ञापन लगाये जाने की अनुमति रु0 50/– प्रति वर्गफुट से गणना करते हुए अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय से स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। उक्त स्वीकृति मात्र निर्माण कार्य पूर्ण होने तक मान्य होगी । इसके अतिरिक्त बिल्डर्स द्वारा अवैध रुप से लगाये जाने पर विज्ञापन क्षेत्रफल पर 06 माह के अनुसार गणना करते हुए पेनल्टी लगायी जायेगी। यदि कोई एजेन्सी पुनः अवैध विज्ञापन लगाती है तो उस पर पूर्व में लगायी गयी पेनल्टी के अतिरिक्त पूर्व की पेनल्टी के दोगुना के हिसाब से पेनल्टी लगायी जायेगी । इसके अतिरिक्त ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर अवैध विज्ञापन/पोस्टर/बैनर के विरुद्व रोपित किये गये अर्थदण्ड का आन्तरिक ऑडिट प्रतिमाह वित्त विभाग द्वारा किया जायेगा ।

(E) स्कूल, हॉस्पीटल, मॉल आदि को दी जाने वाली न्यूनतम समयावधि एवं राशि के सम्बन्ध में कार्यवाही :–

1. स्कूल, हॉस्पीटल, मॉल आदि को दी जाने वाली दिशा–सूचक बोर्ड का साईज 6 वर्गफिट प्रति बोर्ड, अधिकतम समय 10 दिन एवं राशि रु0 100/– वर्गफिट (प्रति माह) G.S.T./Tax सहित। उक्त दरें अनुमोदित एवं न्यूनतम रिजर्व दरें है । इन दरों में प्रति वर्ष न्यूनतम 10 प्रतिशत की बढोत्तरी होगी इसके उपरान्त पुनः बोर्ड में अनुमोदन कराते हुए दरें अनुमोदन करायी जायेगी । दिशा–सूचक बोर्ड को लगाये जाने के दौरान प्राधिकरण की सम्पत्ति क्षतिग्रस्त न हो इसके जमानत धनराशि के रुप में रु0 2000/– प्रति बोर्ड के अनुसार लिया जाना जायेगा । उक्त जमानत धनराशि को समयावधि व्यतीत होने के पश्चात कार्यस्थल का सर्वे कराये जाने के पश्चात यदि प्राधिकरण की सम्पत्ति को कोई नुकसान नही हुआ तो वापिस कर दी जायेगी।

(F) Electronic displayed LED की दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में कार्यवाही :–

1. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अन्तर्गत अनुमोदित विज्ञापन स्थलों पर यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट पर विज्ञापनदाताओं द्वारा Electronic/Digital displayed LED Panel लगाये जाने का अनुरोध किया जाता है तो वर्तमान प्रचलित दरों (सम्बन्धित विज्ञापन पट की अधिकतम स्वीकृत निविदा दरें) पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि ली जानी जायेगी । इन दरों में प्रति वर्ष न्यूनतम 10 प्रतिशत की बढोत्तरी होगी इसके उपरान्त पुनः बोर्ड में अनुमोदन कराते हुए दरें अनुमोदन करायी जायेगी ।

(G) Renewal energy sources से विज्ञापन किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही :–

(i) Out door advertising devices and electrical connection.

The electrical conections and components in all advertising devices shall be with accordane with relevant indian standards and designed to ensure there is no safety or traffic risk. A copy of electrical contractos test certificate shall be provided to the deptartment. No generator running on diesel/Petrol/kerosene or any blo fuel, casuing noise, air or water pollution would be allowed for providing power for illumination of any outdoor advertising device. If it found otherwise then penalty of Rs. 10,000/- per event shall be levied and nessacery legal action shall be undertaken against advestiser/agency. Above penalty shall increase 10% per years upto three years. The said penalty shall be revised after three years with the Board approval.

(ii) Electricity from renewable energy sources

To promote conservation of electricity, it is important that the illumination at all outdoor advertising devices shall draw power from alternate renewable resourcess like solar power etc. To promote the use of alternative energy, advertisers and licensee of the advertising devices shall be given a 1/3 (one third) rebate on prevailing monthly license fee for each advertising device. This would also help in reducing the licensee cost for paying for consumption of electrical power from discoms. Rebate shall be provided after due verification/survey by GNIDA.

(H) Backlit के माध्यम से विज्ञापन किये जाने पर कार्यवाही :–

1. विद्युत को बचाने एवं विज्ञापन को अधिक आर्कषित बनाने एवं सुरक्षा की दृष्टि से विज्ञापन हेतु लगाये जाने वाले Only LED Bulb के द्वारा Backlit के माध्यम से विज्ञापन को रात्रि में प्रकाशित किया जायेगा ।

(I) उद्यान विभाग की हरित पटिटकाओं एवं पार्को की चारदीवारी तथा विद्युत खम्भों पर अवैध विज्ञापन पर कार्यवाही :–

(i) प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत विद्युत पोलों पर एकरुपता/कन्ट्रोल रखने के उद्देश्य से प्राधिकरण के अर्बन सर्विसेज विभाग द्वारा अनुमति इस आशय से प्रदान की जायेगी कि प्रथम आओं प्रथम पाओं, जिसके पंजीकरण हेतु प्रति वर्ष शुल्क रु0 20,000/– को प्राधिकरण के अर्बन सर्विसेज विभाग में जमा कराना होगा । पंजीकरण कराने के उपरान्त ही विद्युत पोलों पर विज्ञान 3' x 2' फिट के बोर्ड स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही लगाये जायेगें, जिनकी दरें रु0 100 + GST/Tax प्रति वर्गफिट (प्रति माह) ली जायेगी । एक विद्युत पोल पर मात्र एक ही विज्ञापन बोर्ड (दोनों तरफ) लगाया जायेगा ।

(ii) उघान विभाग की हरित पट्टिकाओं एवं पार्को की चारदीवारी तथा विधुत खम्भो पर किये जाने वाले अवैध विज्ञापनो को सम्बन्धित विभाग द्वारा हटाते हुये, अवैध विज्ञापनो पर निम्न दरों के अनुसार पेनेल्टी लगायी जायेगी । इलैक्ट्रीकल पोल (क्योस्क/पोस्टर)– रु0 5,000/– एवं अन्य प्रकार (रोटरी/सैन्ट्रल–वर्ज) –रु0 10,000/– पैनल्टी लगायी जायेगी । उपरोक्त दरों में प्रति वर्ष न्यूनतम 10 प्रतिशत की बढोत्तरी होगी एवं तीन वर्ष उपरान्त पुनः बोर्ड में अनुमोदन कराते हुए दरें अनुमोदन करायी जायेगी। पंजीकरण हेतु निम्न प्रपत्र आवश्यक है :–

(i) फर्म/व्यक्ति का आधार कार्ड, पैन कार्ड, जी.एस.टी. नम्बर, बैंक का विवरण, पते का विवरण, ई–मेल आई.डी. एवं दूरभाष संख्या ।

(ii) विज्ञापनों/पंजीकरण की धनराशि को प्रस्तावित तिथि से न्यूनतम 7 दिन पूर्व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकृत बैंकों में जमा कराने के उपरान्त प्राप्ति रसीद को मूलरुप से अर्बन सर्विसेज विभाग में जमा करायी जानी होगी ।

(K) No Dues Certificate के सम्बन्ध में कार्यवाही :–

1. No Dues Certificate की वैधता तीन माह तक मान्य होगी ।

(L) अस्थायी अनुमति के सम्बन्ध में कार्यवाही :–

1. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत महत्वपूर्ण मेला कार्यक्रम के दौरान अस्थायी रुप से विज्ञापन लगाने की अनुमति रु0 10/– + GST/Tax वर्गफिट (प्रति दिन) की दर से ली जायेगी। उक्त अनुमति न्यूनतम 3 दिन व अधिक तम मात्र 8 दिन के लिए प्रदान की जायेगी । विज्ञापन पट का साईज अधिकतम 100 वर्गफिट होगा । इसके साथ–साथ प्राधिकरण की सम्पत्ति क्षतिग्रस्त न हो इसके लिए जमानत धनराशि के रुप में Rs. 20,000/- को प्राधिकरण के पक्ष में जमा करनी होगी । उक्त जमानत धनराशि को समयवधि व्यतीत होने के पश्चात कार्यस्थल का सर्वे कराये जाने के पश्चात यदि प्राधिकरण की सम्पत्ति को कोई नुकसान नही हुआ तो वापिस कर दी जायेगी। इसके अतिरिक्त Mobile Vans के लिए उक्त प्रस्ताव मान्य नही होगी । उक्त विज्ञापन पट लगाने से पूर्व निम्न शर्तो पर अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी/मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय से अनुमति ली जानी अनिवार्य होगी ।

No board shall be allowed to be installed in the central verge of ROW.
Following criteria shall be abide while installing the board
a) Six mtr. From above the ground
b) Minimum distance between two boards on the same side of the road/expressway shall not be less than two hundred mtr.
c) Minimum distance two hundred mtr. From bridge intersection and interchange.
d) minimum distance one hundred mtr. From road signage.

(M) <u>पालिसी में व्यवहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत परिर्वतन के सम्बन्ध में कार्यवाही :–</u>

1. Greater Noida Outdor advertising policy प्रथम बार जारी की जा रही है । उक्त पालिसी में व्यवहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत कोई परिवर्तन की आवश्यकता होती है तो परिवर्तन किये जाने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है एवं परिवर्तित प्रस्ताव को आगामी बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

अतः उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें ।

(दीप चन्द्र)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

<u>प्रतिलिपि :–</u>

- स्टाफ आफिसर को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सादर अवलोकनार्थ ।
- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (जी0) को सूचनार्थ ।
- विशेष कार्याधिकारी (एस0के0/एस0एस0) को सूचनार्थ ।
- उप महाप्रबन्धक (अर्बन सर्विस) को सूचनार्थ ।
- वरिष्ठ प्रबन्धक (अर्बन सर्विस) को अनुपालनार्थ ।
- समस्त वरिष्ठ प्रबन्धकों को अनुपालानार्थ ।
- प्रबन्धक (सिस्टम) को उपरोक्तानुसार मद संख्या–अनु02–117/9 को प्राधिकरण की बेवसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी